उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-8/2024/452/तीस-4-2024
लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनपदों में वर्तमान तक निर्धारित आयुसीमा पूर्ण कर चुके डीजल/पेट्रोल चलित वाहनों एवं प्रतिमाह आयुसीमा पूर्ण करने वाले वाहनों के विरूद्ध संलग्न कार्ययोजना के क्रियान्वयन कराये जाने के प्रयोजनार्थ निम्नवत् समिति एतद्द्वारा गठित की जाती है :-

1.	मण्डलायुक्त, मेरठ	अध्यक्ष
2.	पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ	सदस्य
3.	उप परिवहन आयुक्त, मेरठ	सदस्य सचिव
4.	क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0रा0स0परिवहन निगम, मेरठ	सदस्य
5.	क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0रा0स0परिवहन निगम, गाजियाबाद	सदस्य
6.	क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0रा0स0परिवहन निगम, सहारनपुर	सदस्य
7.	संभागीय परिवहन अधिकारी, मेरठ	सदस्य
8.	संभागीय परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद	सदस्य
9.	संभागीय परिवहन अधिकारी, सहारनपुर	सदस्य

2- उक्त समिति की अध्यक्ष की अपेक्षानुसार पर्यावरण विशेषज्ञों तथा सम्बन्धित विभिन्न संगठनों/संघों के पदाधिकारियों द्वारा समिति के विशेष आमंत्री के रूप में समिति की बैठकों में प्रतिभाग किया जायेगा तथा यथावश्यकता उनके द्वारा समिति को कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सुसंगत अभिलेखों/सूचनाओं इत्यादि को समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुए अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

3- प्रकरण मा0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु आयोग के अन्तर्गत ''सुरक्षा और प्रवर्तन'' विषय पर गठित उप समिति की होने वाली बैठकों एवं उनमें दिये गये आदेशों के अनुपालन से आच्छादित है। अत: तात्कालिकता के दृष्टिगत उक्त समिति से अपेक्षा है कि वह उपरोक्तानुसार संलग्न कार्ययोजना के क्रियान्वयन एवं इस निमित्त यदि किसी प्रभावी कदम/ कार्यवाही हेतु अन्य बिन्दुओं/ अवयवों को कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाना आवश्यक हो तो उन बिन्दुओं/अवयवों को भी कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनपदों में निर्धारित आयु सीमा पूर्ण कर चुके डीजल/पेट्रोल चलित वाहनों के चिन्हांकन, डी-रजिस्ट्रेशन एवं प्रवर्तन आदि अन्य कार्यों से सम्बन्धित कार्ययोजनाओं के सफल एवं समयबद्ध संचालन का पर्यवेक्षण तथा समय-समय पर परीक्षण करेगी।

संलग्नक : कार्ययोजना।

एल0वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

उक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मण्डलायुक्त, मेरठ।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र संख्या-20प्रावि0/2024-111प्रावि0/2023, दिनांक 22.03.2024 के संदर्भ में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार गठित समिति को स्वस्तर से सूचित करते हुए यथापेक्षित अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
5. अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।